संख्या–2934 /60–2–18–2/3(27)/05

प्रेषक,

डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोषण मिशन, उ0प्र0।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 26 सितम्बर, 2018

विषयः सुपोषण स्वास्थ्य मेला–प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस को मेले के रूप में आयोजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 के पत्र सं0 2101/60–2–18–2/3(27)/'05 दिनांक 30 जुलाई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस को मेले के रूप में आयोजित करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं। **(संलग्न)**

आप अवगत हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कुपोषण की रोकथाम हेतु देश भर में पोषण अभियान चलाया जा रहा है। सामान्यतः कुपोषण की रोकथाम हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन शासकीय विभागों द्वारा विभाग के स्तर पर ही किया जाता है, लेकिन कुपोषण की रोकथाम विभिन्न विभागों के सहयोग से सम्भव है, जिसका निराकरण मल्टी सेक्टोरल एप्रोच को अपना कर ही किया जा सकता है। इस हेतु विभिन्न विभागों के मध्य आवश्यक सहक्रियता (सिनर्जी) स्थापित करना तथा ग्राम, ब्लाक व जनपद स्तर पर एक समेकित कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाना आवश्यक है। सहक्रियता स्थापित करने में विभागों में कार्यक्रमों में कन्वर्जेन्स की महती भूमिका है। कन्वर्जेन्स की महत्ता को देखते हुए सुपोषण स्वास्थ्य मेले में खाद्य एवं रसद विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग की गतिविधियों को भी संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन विभागों द्वारा निम्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

<u>ग्राम्य विकास</u>

एन0आर0एल0एम0

- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवसों के संचालन में स्वयं सहायता समूह, स्वयं सेवी संस्थाओं को ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस से जोड़े, जिससे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस को लाभार्थी परक मंच के रूप में जोड़ा जा सके।
- माह में प्रथम बुधवार को प्रत्येक सब सेन्टर पर लगने वाले 'सुपोषण स्वास्थ्य मेला' में एन0आर0एल0एम0 के स्वयं सहायता समूहों की प्रतिभागिता बढ़ायी जाये।
- स्वयं सहायता समूहों की बैठक में आशा व आंगनबाड़ी कार्यत्रियों द्वारा प्रतिभाग कराया जाये।

मनरेगा

- कुपोषित बच्चों के परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराना।

खाद्य एवं रसद विभाग

- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा चिन्हित कुपोषित बच्चों के परिवारों को उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार राशन कार्ड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।
- चिन्हित परिवारों को प्रत्येक माह राशन उपलब्ध कराना।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। शासनादेश संख्या –2101/60–2–18–2/3(27)/05 दिनॉक 30.07.2018 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

(डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन/2934(1) तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
7. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
8. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
13. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
14. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ। राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ।
15 गार्ड फाइल।

24/9

(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव